

महत्वपूर्ण एवं खास

7 प्रकरण में 224 किंटल अवैध धान परिवहन करते 8 वाहन जप्त

धान के अवैध आवाक रोकने पुलिस व प्रशासन की टीमों मुस्तैद



न्याय साक्षी/रायगढ़। सीमावर्ती राज्य ओडिशा से धान की अवैध परिवहन की सूचना पर अवैध धान के आवाक को जिले में निषेधित करने के लिये पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारी एवं थाना/चौकी प्रभारियों को निगाह रखकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस अनुविभागीय अधिकारीगण जिले में प्रवेश करने वाले मार्गों में चेक पाईंट बनवाकर प्रशासनिक टीम के साथ थाना/चौकी स्टाफ को वाहनों को चेक करने में लगाया गया है। दिनांक 16.01.19 थाना बरमकेला के चांटीपाली में तहसीलदार बरमकेला व थाना स्टाफ द्वारा सराईपाली से आ रही माजदा वाहन सीजी 13-

एफ-3270 में लोड 120 कट्टा धान व 40 कट्टा चावल को पकड़े। खरसिया तहसीलदार एवं थाना खरसिया स्टाफ द्वारा भेलवाडीह में स्वराज माजदा क्रमांक सीजी13 यूजे 4373 में 100 कट्टी 40 किंटल धान पकड़ा गया है। तहसीलदार बरमकेला, मंडी स्टाफ एवं सरिया पुलिस द्वारा लोड धान/चावल लोड 03 वाहनों को सरिया-

बरमकेला मार्ग में पकड़े। दो वाहनों में 120 बोरी धान तथा एक पिकअप वाहन में चावल लोड है। चौकी प्रभारी जूटमिल द्वारा जेलपारा रोड पर पिकअप वाहन में लोड होकर राईस मिल जा रही 60 बोरी 24 किंटल धान को पकड़ा गया है। इसी क्रम में थाना तमनार में स्वराज माजदा में लोड 10 किंटल धान, थाना चक्रधरनगर पुलिस द्वारा

पिकअप वाहन में लोड 40 किंटल धान वाहन चेकिंग दौरान पकड़ा गया है। वहीं पुलिस चौकी रैरूमा स्टाफ द्वारा पिकअप वाहन सीजी13 एल 8079 25 किंटल धान पकड़े, चालक ने सिसरिंगा से धान लेकर आना बताया तथा मंडी से लाकर कागजात पेश किया गया है। इस प्रकार आज दिनांक 16 नवम्बर को जिले के 07 थाना/

चौकियों में 7 प्रकरण में 08 चार पहिया वाहनों में लोड 224 किंटल धान अवैध रूप से परिवहन होते पकड़ा गया है। प्रशासनिक टीम द्वारा वाहनों में लोड धान/चावल के कागजातों की जांच कर मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी प्रभारियों को यह जांच कार्यवाही निरंतर जारी रखने का निर्देश दिया गया है।

कलेक्टर ने रामभांठा में नाली की सफाई का किया निरीक्षण

» नाली की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज रामभांठा में नाली की साफ-सफाई का निरीक्षण किया और इस संबंध में नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू के मद्देनजर इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि नालियों की साफ-सफाई पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग करते रहें। डेंगू से प्रभावित चिन्हांकित क्षेत्रों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को रामभांठा स्थित पुरानी टंकी को तोड़ने और अम्बेडकर आवास में सुलभ शौचालय बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए मेलाथियान लिक्विड का छिड़काव करें एवं टेमीफॉस डलवाये तथा ठहरे हुए पानी में मोबिल ऑयल एवं मिट्टी तेल डलवायें।

प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 19 नवम्बर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिले के शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ एम.ई.सी.एल रोड मैरीन ड्राईव में निजी क्षेत्रों में विभिन्न पदों में भर्ती करने के लिए 19 नवम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैम्प में नियोजक-नव किसान बायो प्लांटिक लि. अशोक नगर चौक सीपत रोड, बिलासपुर में 34 सेल्स ऑफिसर (पुरुष)-योग्यता (12वीं), एग्रीकल्चर ऑफिसर-योग्यता बी.एस.सी./एमएससी. एग्रीकल्चर एक वर्ष का अनुभव, लेखापाल-योग्यता बी.कॉम/एम. कॉम. 2 वर्ष का अनुभव जीएसटी बिल पासिंग पद की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि एवं समय पर जिला रोजगार कार्यालय रायगढ़ में उपस्थित होकर अपना आवेदन जमा कर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इच्छुक आवेदक अपने (बायोडाटा के साथ) समस्त शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अंक सूची, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कार्ड तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति व एक-एक छायाप्रति व पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ के साथ उपस्थित हो सकते हैं।



दिव्य ऊर्जा लायनेस क्लब द्वारा चक्रधर बाल सदन में स्वास्थ्य परीक्षण संपन्न

न्याय साक्षी/रायगढ़। बालदिवस एवं विश्व मधुमेह दिवस पर लायनेस क्लब दिव्य ऊर्जा, रायगढ़ द्वारा चक्रधर बालिका सदन परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण (ईएनटी) मधुमेह एवं कैंसर जागरूकता का आयोजन किया गया। चक्रधर बाल सदन अनाथालय के दुर्गामंदिर में दिव्य ऊर्जा लायनेस क्लब द्वारा डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी अनीता कपूर के मार्गदर्शन में बाल दिवस व विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिसमें कैंसर जागरूकता व मधुमेह जागरूकता पर कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर जया साहू (ई एन टी) स्पेशलिस्ट द्वारा सभी बच्चों के गला कान व नाक का चेकअप किया गया और दवाइयां लिखी गईं। डॉक्टर केडी पासवान जी द्वारा जनरल चेकअप किया गया व मधुमेह जागरूकता पर जानकारी दी गई। डॉ जया साहू द्वारा सभी बच्चियों को माहवारी व उस दौरान साफ सफाई कैसे रखी जाए व खानपान कैसा होना चाहिए आदि जानकारी भी दी गई।

वलाब मेंबर्स का भी चेकअप हुआ

लायनेस अनीता कपूर जी द्वारा डॉक्टरों को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह दिए गए। चैयर पर्सन सुमिता पांडे जी द्वारा सभी बच्चों एवं स्टाफ सब को बिस्किट वितरित किए गए, वहां के सभी बच्चे एवं स्टाफ बहुत खुश थे व से इसी प्रकार का कार्यक्रम पुनः करवाने का आग्रह किया। दिव्य ऊर्जा क्लब की उपस्थित सभी लायनेस बहनों का विशेष सहयोग रहा। अनीता कपूर, मीरा पासवान, सुमिता पांडे, अरुणा साहू, उमातोमर, रंजना बैस, आभा मिश्रा, रेखा केसरी, मोना कंकरवाल, लक्ष्मी अग्रवाल एवं अन्य उपस्थित थीं, सब का सराहनीय योगदान रहा।

अभिनव स्कूल टिमरापुर में पुलिस महिला रक्षा टीम का जागरूकता कार्यक्रम

न्याय साक्षी/रायगढ़। महिला रक्षा टीम प्रभारी निरीक्षक संतोषी ग्रेस अपने स्टाफ के साथ दिनांक 16.11.19 को टिमरापुर स्थित अभिनव स्कूल में छात्र-छात्राओं को यौन अपराध, घरेलू हिंसा, अच्छ एवं बुरा स्पर्श, सायबर अपराध व अन्य महिला संबंधी अपराधों की जानकारी दिया गया।



निरीक्षक श्रीमती संतोषी ग्रेस द्वारा बताया गया कि कैसे आज कल बच्चों के साथ गलत व्यवहार/बाताव होता है, किस प्रकार कोई मिसयूज कर सकता है। उनसे कैसे बचें, बच्चों को किस प्रकार की कानूनी सुविधाएं प्राप्त है। टी.आई. ग्रेस ने बताया कि लड़कियां कभी भी ब्रैड टच को इग्नोर ना करें पेरेंट्स/टीचर से शिकायत जरूर करें। जब कोई गलत इरादे से छूटा है, घूर कर

देखता है, पीछा करता है, अश्लील शब्द कहता है, मोबाइल से अश्लील मैसेज भेजता है या परेशान करता है यह सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसकी सूचना पहले माता-पिता को दें। शिक्षक को बताएं या पुलिस को देवे या गोपनीय

शिकायत करना चाहते हैं तो भी दे सकती हैं। कार्यक्रम में उपस्थित महिला प्रधान आरक्षक मंजु मिश्रा द्वारा महिला हेल्पलाइन नम्बर, डायल 100, चाइल्डलाइन 1098, डॉयल 112 के संबंध में जानकारी दिया गया। साथ ही साइबर क्राइम, मोबाइल फोन,

सोशल मीडिया के इस्तेमाल में किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिये बताया गया। इस दौरान बच्चों को विडियो फिल्म के द्वारा भी यौन अपराधों से बचाव के तरीके बताये गये। कार्यक्रम में महिला सेल की महिला आरक्षक रोजमैरी इंदू लता एका भी उपस्थित थी।

युवा महोत्सव में कला एवं संस्कृति की बिखरी अनोखी छटा



न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन लखीराम ऑडिटोरियम खरसिया में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम गिरीश रामटेके ने किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए एसडीएम रामटेके ने युवाओं को कला एवं संस्कृति के महत्व को बताते हुए प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए शुभकानाएं दी। कार्यक्रम में लोक गीत, लोक नृत्य, एकांकी, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम,

कथक, तात्कालिक भाषण आदि विधाओं को शामिल किया गया। विकासखण्ड के छात्र-छात्राओं एवं युवाओं ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में छीरपानी ग्राम के कर्मा पार्टी ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मोहित कर दिया। कार्यक्रम को रिपुसूदन पांडेय ने भी संबोधित किया। आयोजन के लिए जनपद सीईओ आर.डी.साहू ने भी विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ने ली प्रतिष्ठान संचालकों की बैठक



» जिला चिकित्सालय के सहायक गेट को खोलने हुई चर्चा

न्याय साक्षी/रायगढ़। आज कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायगढ़ परिसर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जिला चिकित्सालय के सामने संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं मेडिकल दुकान संचालकों का जिला चिकित्सालय के सहायक गेट को खोलने के संबंध में आवश्यक चर्चा एवं कार्यवाही हेतु समीक्षा बैठक लिया

पानी की गुणवत्ता मामलों में रायपुर का पानी पांचवे नंबर पर

रायपुर (आरएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को देशभर के 21 शहरों के पानी की गुणवत्ता की रैंकिंग जारी की है। जिसमें रायपुर का पानी गुणवत्ता के मामले में 5वें नंबर पर पाया गया है। पानी की गुणवत्ता की जांच में जांच में मुंबई का पानी सर्वोत्तम पाया गया तो वहीं दिल्ली का पानी सबसे खराब है। इस सूची में टॉप पांच शहर में मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची और रायपुर हैं। वहीं, बाकी शहरों में अमरावती, शिमला, चंडीगढ़, त्रिवेंद्रम, पटना, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु, गांधीनगर, लखनऊ, जम्मू, जयपुर, देहरादून, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली का स्थान है। केंद्र सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) को देशभर के विभिन्न शहरों से पानी के नमूने एकत्र कर उनकी जांच करने और उसके अनुरूप शहरों की रैंकिंग जारी करने का जिम्मा दिया गया था।

वृद्ध की टांगी मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर अंतर्गत ग्राम बेलरिया में रहने वाली श्रीमती मिनी प्रधान द्वारा आज दिनांक 16.11.2019 को थाना चक्रधरनगर में उसके पति प्रेमलाल प्रधान उम्र 60 वर्ष की दिनांक 13.11.2019 के सुबह से गांव घर में नहीं रहने के संबंध में गुम इंसान दर्ज कराया गया।



श्रीमती मिनी प्रधान ने बताया कि दिनांक 13.11.19 के एक दिन पूर्व गांव के नेहरू राणा के साथ उसके पति का नेहरू राणा के घर के दरवाजे को बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा बंद कर देने को लेकर झगड़ा विवाद हुआ था। गुम इंसान की जांच पर ग्राम बेलरिया गए सहायक उपनिरीक्षक शशि देव भोई को ग्राम बेलरिया के चौकीदार ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव उड़ीसा बॉर्डर रानीपथरा जंगल के पास पड़े होने की सूचना दिया। चौकीदार द्वारा

मृतक को प्रेमप्रधान के होने की शंका व्यक्त किया था जिस पर सहायक उपनिरीक्षक शशि देव भोई ने गांव के प्रमुख लोगों तथा प्रेमलाल प्रधान के परिजनों को ले जाकर मौके पर शव की शिनाख्ती कराये। शव के सिर और बदन में धारदार हथियार से चोट करने के निशान देखे जाने पर हत्या की आशंका देख सजिन भाई ने थाना प्रभारी चक्रधरनगर को सूचना दिया गया जिस पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक युवराज तिवारी मौके पर जाकर संदेही नेहरू राणा को तलब कर सख्ती से पूछताछ किए। तब नेहरू

राणा ने बताया कि 13.11.2019 के सुबह प्रेमलाल प्रधान अपने परवल बाड़ी में काम करने गया था। इसका भी खेत वही बगल में है जहां पूर्व झगड़े विवाद की बात को लेकर टंगिया मारकर उसकी हत्या कर दिया तथा साक्ष्य छिपाने के लिए प्रेमलाल के शव को वहां से 200 मीटर दूर जंगल पर छोटे झाड़ियों के बीच रखकर पत्थर से दबाकर छुपा दिया था। आरोपी नेहरू राणा पिता निरंजन राणा उम्र 50 साल बेलरिया के मेमोरंडम पर घटना कारित किया गया धार धार टंगिया जप्त किया गया है। घटना के संबंध में मर्मा क्रमांक 82/19 धारा 174 सीआरपीसी की जांच पर से आरोपी नेहरू राणा के विरुद्ध धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।